

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 16/12/18

कमांक 986 /178/आउशि/अनु.ब/17. म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश कमांक एफ-73/52/38-3/99 दिनांक 28/10/1999 द्वारा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। उसमें कंडिका-10 पर अंकित शर्त जिसमें 01.01.96 से वेतनमान लागू होंगे परन्तु अन्य सुविधाओं का लाभ भारत सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 27.7.98 अथवा 6.11.98 से लागू मानी जावेगी।

2. उक्त अनुक्रम में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक/एफ 73/59/38-3/99 दिनांक 28/10/99 एवं म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक/73-5/2014/38-3 दिनांक 19-20/3/15 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक एफ.1/124 /2010/38-1, दिनांक 14/9/12 में अंकित चार्ट के स.कं.-4 में उल्लेखित अर्हता के अनुसार पूर्व में विश्वविद्यालय की अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार स्वीकृत किये गये प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि से 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के निम्न सहायक प्राध्यापक/ ग्रंथपाल/ क्रीड़ाधिकारी/अधिकारियों को संबंधित प्राचार्य से प्राप्त जानकारी एवं अभिलेखों के आधार पर उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से चतुर्थ पे-बैंड वेतनमान (37400-67000+9000एजीपी)स्वीकृत किया जाता है:-

स. क.	सहायक प्राध्यापक का नाम एवं पदनाम	शासन द्वारा अनुमोदित नियमित नियुक्ति दिनांक	चतुर्थ पे-बैंड में स्थानन का दिनांक
1	2	3	5
कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, इंदौर			
1	श्रीमती कविता जमींदार, सहा.प्रा., बालविकास	1.8.77	1.1.06
2	डॉ.निर्मला सिंह, सहा.प्रा. गृहविज्ञान	18.8.82	1.1.06
3	सुश्री जयश्री कविमंडल, सेनि सहा.प्रा. भौतिकी	26.7.73	1.1.06
4	श्रीमती शांति पुरानिया, सेनि सहा.प्रा. राजनीति	1.3.77	1.1.06
5	डॉ.मनोरमा जैन, सेनि सहा.प्रा., अर्थशास्त्र	1.4.75	1.1.06
6	डॉ.वंदना गुप्ता, सेनि सहा.प्रा. प्रसार शिक्षा	14.3.90	14.3.06
7	डॉ. पूनम कौशिक क्रीड़ाधिकारी	1.9.99	1.9.12
8	डॉ.शैलबाला गांधी, सहा.प्राध्या. समाजशास्त्र	12.8.96	31.7.17
सुदर्शन महाविद्यालय, लालगांव (रीवा)			
9	डॉ.श्रीमती ललिता सिंह, सेनि सहा.प्रा. राजनीति	22.9.84	1.1.06
10	प्रो.वी.पी.जायसवाल, सेनि सहा.प्रा. इतिहास	1.9.73	1.1.06

निरंतर...2


3. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित अधिकारियों का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु किसी भी प्रकार के अनियमित/अधिक भुगतान हेतु वचन पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित अधिकारी अनुदान हेतु स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहे हैं।

4. यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुये तत्काल जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजे।

5. यदि किसी अधिकारी द्वारा वेतनमान संबंधी न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो निर्णय के परिपेक्ष्य में वेतन निर्धारण/भुगतान कर प्रकरण का तत्काल निराकरण करते हुये इस कार्यालय को अवगत करावे।

6. शासन द्वारा जारी अद्यतन नियमों को पालन सुनिश्चित किया जावे। किसी भी प्रकार के अनियमित वेतन निर्धारण/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्राचार्य की होगी।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)


(डॉ. सुषमा दुबे)


अपर संचालक(वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 16/5/2018

पृ0क0/ 987 /178/आउशि/अनु.ब/18
प्रतिलिपि:-

1. माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन के निज सचिव।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
4. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
5. संबंधित उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. कुलसचिव, समस्त संबंधित विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश।
7. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश।
8. वि.क.अ. (आई.टी.सेल), कार्या. आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. संबंधित प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
10. संबंधित प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश। आदेश की प्रति भेजते हुये निर्देशित किया जाता है कि कृपया आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भी उपलब्ध कराने का करावे।
11. कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय, मध्य प्रदेश।
12. समस्त संबंधित अधिकारी, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।


अपर संचालक(वित्त)

उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल